भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2182 का उत्तर

रेलगाड़ियों में महिलाओं हेतु कोच

2182. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के महत्वपूर्ण मार्गों पर चलने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में महिलाओं हेतु अतिरिक्त डिब्बों की संख्या काफी कम है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का महिला यात्रियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलगाड़ियों में महिलाओं हेतु डिब्बों/कोचों की संख्या बढ़ाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के संबंध में आरपीएफ और जीआरपीएफ द्वारा क्षेत्र जोन-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और
(च) सरकार द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): रेल अधिनियम, 1989 की धारा 58 में रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए स्थान निर्धारित करने का प्रावधान है। तदनुसार, यात्री रेलगाड़ियों में, भारतीय रेल ने महिला यात्रियों के लिए निम्नलिखित स्थान निर्धारित किए हैं:

i. अकेले या महिला यात्रियों के समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए, भले उनकी आयु कुछ भी हो, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में शयनयान श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा और गरीब रथ/राजधानी/दूरांतो/पूर्णतया वातानुकूल एक्सप्रेस

रेलगाड़ियों की तृतीय वातानुकूल श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में छह से सात निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा, वातानुकूल 3 टियर श्रेणी में चार से पांच निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा और वातानुकूल 2 टियर श्रेणी में तीन से चार निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के डिब्बों की संख्या के आधार पर) का एक संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

iii. लंबी दूरी की अधिकांश मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच (एसएलआर) में महिलाओं के लिए द्वितीय श्रेणी स्थान निर्धारित है।

iv. मांग के पैटर्न के साथ-साथ गाड़ी में स्थान की उपलब्धता के आधार पर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों/डीजल मल्टीपल यूनिटों/मल्टी मोडाल परिवहन प्रणाली रेलगाड़ियों और लोकल पैसेज़र गाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए अनन्य अनारक्षित सवारी डिब्बे/कूपे होते हैं।

v. मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद और चेन्नई के उपनगरीय रेलखंडों के साथ-साथ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रेलखंडों पर महिला स्पेशल ईएमयू/मेमू/एमएमटीएस सेवाएं चलाई जाती हैं।

रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए स्थान निर्धारित करना, मांग पैटर्न के आधार पर इसकी समीक्षा करना तथा उनकी सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बहरहाल, उपरोक्त के अनुसार, महिला यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान के अलावा, महिला यात्रियों की सुरक्षित व आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेल पुलिस के समन्वय से भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित अन्य प्रमुख कदम उठाए गए हैं:-

1. भेद्य और अभिनिर्धारित मार्गों/रेल खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा मार्गरक्षित रेलगाड़ियों के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 (राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

3. रेलवे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक आदि के द्वारा यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके।

4. यात्रियों को चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा बार-बार घोषणाएं की जाती हैं।

5. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरे लगाए गए हैं।

6. 'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात् प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

7. क्षेत्रीय रेलों को रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में पुरुष और महिला रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों की यथासंभव उपयुक्त संयुक्त संख्या तैनात करने के अनुदेश दिए गए हैं।

8. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य सरकार के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/ज़िला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज और जांच-पड़ताल करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा सुलभ कराने और तत्संबंधी मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहयोग करता है।

भारतीय रेल में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और हमले से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में प्रकाशित किए जाते हैं, जो उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

******